



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1046]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939

No. 1046]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ.1178(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के उप-उपवाक्य (ii) के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के उद्देश्य के लिए लोकायुक्त और उपलोकायुक्त उत्तर प्रदेश, को विनिर्दिष्ट करती है।

यह स्पष्ट किया गया है कि आय कर प्राधिकारी जैसा कि अधिसूचना सं. सं. का. सा. 73128 दिनांक (अ).07.2000, में विनिर्दिष्ट किया गया है -

)i) इस राय को बना लेने के बाद कि ऐसी सूचना को इसलिए देना जरूरी है कि उपर्युक्त अधिसूचित प्राधिकारी अपने द्वारा लागू किए जाने वाले कानून के अंतर्गत काम कर सकेंसंगत तथा परिशुद्ध सूचना उपलब्ध कराएगा ;; और

)ii) इस अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्देश देगा कि इस प्रकार दी गई सूचना की गोपनीयता पूरी तरह से बनाए रखी जा सके।

[अधिसूचना सं. 29/2017/फा. सं.225/97/2015-आईटीए-II]

रोहित गर्ग, निदेशक, आईटीए-II